# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24(2)(ए)के प्रावधानान्तर्गत ग्रुप एफ में संवर्गित **प्रधानाध्यापक (मावि) एवं समकक्ष पद ( ग्रुप–एफ)** पे–बेण्ड 15600–39100 पी.बी–3 ग्रेड पे 5400 में चयन वर्ष 2018–19 **की रिक्तियों** के विरूद्ध आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की कार्यवाही में की गई अनुशंषाओं के आधार पर इस कार्यालय के आदेशांकः– शिविरा/मा/संस्था/एबी/बी–3/डीपीसी/प्र0अ0/2018–19 व 2019–20/2020 दिनॉक 23.10.2020 द्वारा चयन किये जाने पर शिक्षा सेवा के अधिकारी को निम्नानुसार नाम के सामने अंकित विद्यालय में पदस्थापित किया जाता है।

| क्र. सं. | व. क्र. | वरि. वर्ष | नाम | जन्म तिथि | वर्तमान कार्यरत स्थान | जिला | पदोन्नति पर पदस्थापन | जिला |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1595 | 2005-06 | Pramila Mirotha | 29-06-63 | G.S.S. S KUNDERA | SWAI MADHOPUR | GOVT. GIRLS SECONDARY SCHOOL BAHARAWNDA KHURD (217862), KHANDAR | SWAI MADHOPUR |

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क–2/95 दिनांक 20.06.2001 (33/01) के प्रावधानान्तर्गत ऐसे राज्यकर्मी जिनके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् सन्तानोत्पति से दो से अधिक सन्तान हो तो वे नियमानुसार पदोन्नति पर कार्यग्रहण के पात्र नहीं होंगे। अतः संबंधित नियन्त्रण अधिकारी कार्यमुक्ति से पूर्व इस आशय की घोषणा प्राप्त करेंगे कि इनके 01.06.2002 को या उसके पश्चात सन्तानोत्पति से संतानों की कुल संख्या 2 से अधिक नहीं हुई है । नियन्त्रण अधिकारी कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराने से पूर्व पदोन्नत कार्मिक के नाम, वरिष्ठता क्रमांक/वर्ष, वर्तमान धारित पद , जन्म तिथि एवं धारित अर्हता एवं विभागीय जांच (सीसीए नियम 16 व 17 में) बकाया नहीं होने का मिलान कर पुष्टि करेंगे, तथा **यह भी सुनिश्चित करेगें कि आदेश में उल्लेखित पदोन्नत कार्मिक का वरिष्ठता वर्ष के उपरान्त मण्डल परिवतर्तित नहीं हुआ हैं । यदि कार्मिक का मण्डल परिवर्तित हुआ है तो ऐसी स्थिति में कार्यग्रहण/ कार्यमुक्त नही करते हुए निदेशालय को रजिस्टर्ड डाक से एवं विभागीय ई–मेल absecsecedu@gmail.com पर तुरंत सूचित करेंगे।**

संबंधित अधिकारी नियत दिनांकः–**09.03.2021** तक पदोन्नति उपरान्त पदस्थापन स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करेगें। लोकसेवक अगर पदोन्नति का परित्याग करना चाहे तो उसे अपने नियन्त्रण अधिकारी को नियत दिनांक से एक दिवस पूर्व लिखित में आवेदन करना होगा अन्यथा उन्हें नियन्त्रण अधिकारी द्वारा कार्यमुक्त किया जावेगा। नियन्त्रण अधिकारी निर्धारित तिथि से एक दिवस पूर्व आवश्यक रूप से पदोन्नत कार्मिक को पदोन्नति पदस्थापित स्थान हेतु कार्यमुक्त करने के लिए उत्तरदायी होगें । कार्यभार ग्रहण करने/पदोन्नति परित्याग की सूचना नियन्त्रण अधिकारी(संस्था प्रधान) द्वारा कार्यग्रहण करने की अंतिम तिथि के आगामी दिवस को जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से निदेशालय को जरिये रजिस्टर्ड डाक/ई–मेल सूचित करेंगे।

**संबंधित संस्था प्रधान कार्यग्रहण/कार्यमुक्त की कार्यवाही शालादर्पण के माध्यम से ही सुनिश्चित करेगें। इसका समस्त उत्तरदायित्व संबंधित संस्था प्रधान का ही होगा।**

**(सौरभ स्वामी)**
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

**क्रमॉकः– शिविरा–मा/संस्था/बी–1/45001/प्रअ/डीपीसी–2018–19/2021/** 39  **दिनॉकः– 26 फरवरी 2021**

**प्रतिलिपि निम्न को** सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत् :–

01. शासन सचिव–शिक्षा,प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान सरकार, जयपुर
02. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2)/कार्मिक(क–5)विभाग, राजस्थान, जयपुर
03. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान जयपुर
04. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
04. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
05. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)माध्यमिक शिक्षा/ संबधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ।
06. संबंधित नियंत्रण अधिकारी/पदोन्नत कार्मिक को पाबन्द किया जाता है कि नवीन पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण के साथ उपरोक्त निर्देशानुसार शाला दपर्ण में अपने से संबंधित आवश्यक प्रपत्रों की पूर्ति आवश्यक रूप से करेगें ।
07. सहायक निदेशक वरिष्ठता/संस्था/गोपनिय प्रतिवेदन/विभागीय जांच/ प्रभारी बी–3
08. निजी एवं रक्षित पत्रावली

**संयुक्त निदेशक–कार्मिक**